

जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार त्यांनी नियुक्त केलेल्या गोदाम कर्मचाऱ्यांची अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप्र-२४१३/प्र.क्र. ९/ना.पु.१५,

मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२.

तारीख: १७ एप्रिल, २०१३.

वाचा -

- १) शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१००३/प्र.क्र.४८३/ना.पु. १४, दि. २६ जून २००३.
- २) शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप्र-२४०७/७९/प्र.क्र.५२२६/ना.पु.१५, दि. ८ मार्च, २००७.
- ३) शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप्र-२४०८/५१९/प्र.क्र.५५७१/ना.पु.१५, दि. १९ मार्च, २००८.
- ४) शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप्र-२४०९/९१/प्र.क्र.२५/ना.पु.१५, दि. १८ मार्च, २००९.
- ५) शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप्र-२४१०/प्र.क्र.३३७/ना.पु.१५, दि. २० एप्रिल, २०१०.
- ६) शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप्र-२४१०/प्र.क्र.६१९/ना.पु.१५, दि. १८ मार्च, २०११.
- ७) शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप्र-२४११/प्र.क्र.१०५२/ना.पु.१५, दि. ४ एप्रिल, २०१२.

शासन निर्णय-

जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जळगांव, सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली यांना शासन निर्णय क्रमांक ईएसटी-१०७१/१४७०६/एम, दिनांक २९.६.७१, ७.८.७१, २५.८.७१ व १४.१२.७१ अन्वये गोदाम कर्मचारी नेमण्यास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या गोदाम कर्मचाऱ्यांच्या ८७१ अस्थायी पदांना संदर्भ क्रमांक ७ येथील दि.४ एप्रिल, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक २८.२.२०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

२. गतवर्षीपर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगांव कार्यालयासाठी गोदाम कर्मचाऱ्यांच्या ६९ अस्थायी पदांना आतापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत होती. तथापि जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगांव कार्यालयाने त्यांच्या दि.१८.९.२०१२ अन्वये पुरवठा विभागातील सर्व संवर्गातील १४७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाबाबतचे आदेश निर्गमित केले असून त्यानुसार स्थायी व अस्थायी पदांच्या संख्येत बदल झाला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगांव यांनी आता गोदाम कर्मचाऱ्यांच्या ६९ पदांऐवजी ४० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारातील ८७१ पदांऐवजी एकूण ८४२ पदांना दि.१ मार्च, २०१३ पासून दि.२८ फेब्रुवारी, २०१४ पर्यंत मुदतवाढ देणे

आवश्यक आहे. सदर ८४२ पदांचा जिल्हानिहाय व पदनिहाय तपशिल सोबतच्या विवरणपत्र"अ" मध्ये सादर करण्यात आला आहे.

३. सदर गोदाम कर्मचाऱ्यांच्या पदांची आवश्यकता विचारात घेऊन ही पदे पुढे चालू ठेवणे गरजेचे असल्याने व तशी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी विनंती केली असल्याने सोबतच्या विवरणपत्र "अ" मध्ये दर्शविलेली एकूण ८४२ अस्थायी पदे, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून रिक्त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून, दिनांक १ मार्च, २०१३ पासून दि. २८ फेब्रुवारी, २०१४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. कोणतेही नवीन पद यापुढे शासनाच्या पूर्व संमतीशिवाय निर्माण करण्यात येऊ नये.

४. उपरोक्त अस्थायी पदांवरील खर्च " मागणी क्र. एम-२, २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण, १०१-प्रापण आणि पुरवठा , (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३) (०२)मुफसल, दत्तमत योजनेतर (२४०८ ०१०८) ०१ वेतन" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१३-२०१४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : असंक-१००४/ प्र.क्र.१२ (भाग-२)/ २००४/ वित्तीय सुधारणा-१, दि.४ ऑक्टोबर, २००४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१३०४१७१५११२४७३०६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(गोविंद माईणकर)

कार्यासन अधिकारी,

प्रत,

१. जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जळगांव, सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली
२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जळगांव, सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली.

३. सर्व विभागीय आयुक्त,
४. सर्व उपआयुक्त (पुरवठा).
५. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई,
६. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई,
७. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई,
८. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर,
९. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर,
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,
११. वित्त विभाग (व्यय-४ व अर्थसंकल्प-१९),
१२. निवड नस्ती (नापु-१५).

विवरणपत्र "अ"

शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप्र२४१३/प्र.क्र.९/ना.पु.१५, दिनांक १७ एप्रिल, २०१३ चे जोडपत्र.

जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार नियुक्त केलेल्या गोदाम कर्मचाऱ्यांची अस्थायी पदे.

| अ. क्र. | जिल्हयाचे नाव | गोदाम व्यवस्थापक श्रेणी-१ (रु.९३००-३४८००) ग्रे.पे.४३०० | गोदाम व्यवस्थापक श्रेणी-२ (रु.५२००-२०२००) ग्रे.पे.२८०० | गोदाम व्यवस्थापक (रु.५२००-२०२००) ग्रे.पे.२४००) | गोदामपाल (रु.५२००-२०२००) ग्रे.पे.१९०० | गोदाम लिपीक (रु.५२००-२०२००) ग्रे.पे.१९०० | गोदाम पहारेकरी (रु.४४४०-७४४०) ग्रे.पे.१३०० | हमाल कम स्वीपर (रु.४४४०-७४४०)ग्रे.पे.१३०० | एकूण पदे |
|---------|---------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| १ | ठाणे | - | - | - | १३ | ९ | १२ | ७ | ४१ |
| २ | रायगड | १ | ७ | - | १७ | ११ | २९ | १४ | ७९ |
| ३ | रत्नागिरी | ४ | ४ | - | ७ | १२ | ५ | १३ | ४५ |
| ४ | सिंधुदुर्ग | १ | ४ | - | १२ | ६ | ११ | ९ | ४३ |
| ५ | अहमदनगर | १ | १ | - | १२ | ५ | १३ | १५ | ४७ |
| ६ | जळगाव | ४ | ४ | - | १९ | - | ३ | १० | ४० |
| ७ | सोलापूर | १ | ५ | - | २४ | ११ | १८ | २० | ७९ |
| ८ | बीड | - | - | २ | १८ | २ | २२ | २० | ६४ |
| ९ | उस्मानाबाद | - | - | - | ८ | ५ | ९ | ८ | ३० |
| १० | लातूर | १ | २ | - | ५ | ५ | ७ | ५ | २५ |
| ११ | अकोला | - | - | - | ८ | ४ | १३ | १४ | ३९ |
| १२ | बुलढाणा | - | - | २ | १३ | ४ | १४ | ८ | ४१ |
| १३ | नागपूर | - | - | ४ | १५ | ६ | २० | २१ | ६६ |
| १४ | भंडारा | २ | २ | - | ९ | ५ | ९ | ८ | ३५ |
| १५ | गोंदिया | १ | ३ | - | १२ | ६ | १२ | ८ | ४२ |
| १६ | चंद्रपूर | १ | ४ | - | २४ | ९ | २३ | २१ | ८२ |
| १७ | गडचिरोली | १ | २ | - | १३ | ८ | ११ | ९ | ४४ |
| | एकूण पदे | १८ | ३८ | ८ | २२९ | १०८ | २३१ | २१० | ८४२ |